



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठारसीन अधिकारी- श्री उत्तमशिव शेखावत, R.A.S.

राजस्य वाद संख्या: 2017/08

दायर दिनांक 21.04.2017

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|------|---|
| 1. तुलाश पत्नी लिछमण 2. गंजू पुत्री लिछमण 3. शारदा पुत्री लिछमण 4. ताराचन्द पुत्र लिछमण 5. चैनराज पुत्र लिछमण समस्त जाति नायक निवासीगण खुनखुना तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। | | 1. विमला पुत्री खीवराज 2. संखी पुत्री खीवराज 3. पुष्पा पत्नी खीवराज 4. राजूराम पुत्र रामदीन 5. रामस्वरूप पुत्र रामदीन 6. भंवरी पत्नी रामदीन 7. गोपाल दत्तक पुत्र गोशंकरराम 8. हडमानराम पुत्र पूर्णाराम समस्त जाति नायक निवासीगण खुनखुना 9. मनोज कुमार पुत्र गौरुराम जाति मेघवाल निवासी शिवराना का बास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर 10. तहसीलदार डीडवाना |

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :- पक्षकारान

--: निर्णय :-

दिनांक 27.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, पक्षकारान आज मजमें आम न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खुनखुना में उपस्थित हुए। वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 08 स्व० बदरीराम के वारिसान हैं। पक्षकारान की पैतृक सम्पति वाकै सरहद खुनखुना के खसरा सं० 546/345 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं० 548/346 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं० 550/346 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं० 554/346 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं० 556/346 रकबा 18 बिस्वा, खसरा सं० 570/370 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा, 572/370 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा व खसरा सं० 649/344 रकबा 13 बिस्वा तथा वाकै सरहद आगुन्ता के खसरा सं० 251 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं० 254 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा में अवस्थित है। उक्त पैतृक सम्पति का बंटवारा पक्षकारान ने निम्नानुसार कर लिया है:-

1. स्व० लिछमणराम के वारिसान वादीगण के बंट व कब्जा काश्त में वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं० 572/370 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में से 03 बीघा, खसरा सं० 550/346 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 548/346 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं० 556/346 रकबा 18 बीघा सम्पूर्ण रखे गये है।

2
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2017/96
दायर दिनांक 21.04.2017, निर्णय दिनांक 27.06.2017
तुलधा बनाम विमला, वगैरा।

2. स्व0 रामदीन के वारिसान प्रतिवादीगण सं0 04 ता 06 के बंट व कब्जे काशत की भूमि वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं0 572/370 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में से 10 बीघा, वाके सरहद आगुन्ता के खसरा सं0 254 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण व आगुन्ता के खसरा सं0 251 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा।
3. स्व0 खीवराज के वारिसान प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के बंट व कब्जे काशत में वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं0 572/370 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 570/370 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 546/345 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं0 649/344 रकबा 13 बिस्वा सम्पूर्ण। इसमें से प्रतिवादी सं0 1 विमला का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं0 09 मनोज कुमार ने खरीद लिया है। इसलिए विमला के बंट की भूमि प्रतिवादी सं0 09 के बंट में रखी गई है।
4. प्रतिवादी सं0 07 गोपाल के बंट में मौजा आगुन्ता के खसरा सं0 251 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा रखा गया है।
5. प्रतिवादी सं0 08 हडमान के बंट व कब्जा काशत में मौजा आगुन्ता के खसरा सं0 251 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा रखा गया है।


प्रार्थना पक्षकारान है कि उपरोक्तानुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर वाद को डिक्री किया जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खुनखुना में पेश हुई। पक्षकारान ने उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त वादित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से उक्त वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद विवचेन, पक्षकारान राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, स्व0 लिच्छमणराम के वारिसान वादीगण सं0 01 ता 05 के बंट व कब्जा काशत में वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं0 572/370 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में से 03 बीघा, खसरा सं0 550/346 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 548/346 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं0 556/346 रकबा 18 बीघा सम्पूर्ण घोषित किये जाते है तथा स्व0 रामदीन के वारिसान प्रतिवादीगण सं0 04 ता 06 के बंट व कब्जे काशत की भूमि वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं0 572/370 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में से 10 बीघा, वाके सरहद आगुन्ता के खसरा सं0 254 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण व आगुन्ता के खसरा सं0 251 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है व स्व0 खीवराज के वारिसान प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के बंट व कब्जे काशत में वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं0 572/370 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 570/370 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 546/345 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं0 649/344 रकबा 13 बिस्वा सम्पूर्ण घोषित किया जाता है। इसमें से प्रतिवादी सं0 1 विमला का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं0 09 मनोज कुमार ने खरीद लिया है। इसलिए विमला के बंट की भूमि प्रतिवादी सं0 09 के बंट में रखी जाती है तथा



 सहायक क्लर्क
 डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2017/96
दायर दिनांक 21.04.2017, निर्णय दिनांक 27.06.2017
तुलछा बनाम विमला, वगैरा।

प्रतिवादी सं० 07 गोपाल के बंट में मौजा आगुन्ता के खसरा सं० 251 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं० 08 हडमान के बंट व कब्जा काश्त में मौजा आगुन्ता के खसरा सं० 251 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प खुनखुना में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

डिगरी बमुकदमें इबादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाबा दीवानी)
अज अदालत- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बड़जलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व काद संख्या: 2017/96

दापर दिनांक 21.04.2017

| वादीगण | बनान | प्रतिवादीगण |
|---|------|--|
| 1. तुलछा पत्नी लिछनग दगैराह सनस्त जाति नायक निवासीगण खुनखुना तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। | | 1. विमला पुत्री खीवराज वगैराह सनस्त जाति नायक निवासीगण खुनखुना |

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बन्तवारा व त्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 27.06.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबस हनारे व हाजरी निनजानिब मुददई पक्षकारान् और मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनाना दावा डिक्री सादिर कर सरहद स्वो लिछनगराम के वारिसान वादीगण सं० 01 ता 05 के बंट व कब्जा काशत में वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं० 572/370 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में से 03 बीघा, खसरा सं० 550/346 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 548/346 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं० 556/346 रकबा 18 बीघा सम्पूर्ण घोषित किये जाते हैं तथा स्वो रानदीन के वारिसान प्रतिवादीगण सं० 04 ता 06 के बंट व कब्जे काशत की भूमि वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं० 572/370 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में से 10 बीघा, वाके सरहद आगुन्ता के खसरा सं० 254 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण व आगुन्ता के खसरा सं० 251 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है व स्वो खीवराज के वारिसान प्रतिवादी सं० 01 ता 03 के बंट व कब्जे काशत में वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं० 572/370 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं० 570/370 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 546/345 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं० 649/344 रकबा 13 बिस्वा सम्पूर्ण घोषित किया जाता है। इसमें से प्रतिवादी सं० 1 विमला का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं० 09 मनोज कुमार ने खरीद लिया है। इसलिए विमला के बंट की भूमि प्रतिवादी सं० 09 के बंट में रखी जाती है तथा प्रतिवादी सं० 07 गोपाल के बंट में नौजा आगुन्ता के खसरा सं० 251 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं० 08 हडमान के बंट व कब्जा काशत में नौजा आगुन्ता के खसरा सं० 251 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 27.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खुनखुना में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प खुनखुना

| मुददई | रुपया | पैसे | मुदायलह | रुपया | पैसे |
|---|-------|------|--|-------|------|
| स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बायत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक | - | - | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-खुनखुना